

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक:- एफ.7(495) सी.एस.एस./प्लान/2021-22/ 12256-430


दिनांक : 17/09/2021

परिपत्र

विषय:- केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत निधियों की प्राप्ति, उपयोग एवं नियंत्रण के सम्बन्ध में।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार का परिपत्र क्रमांक एफ. नं. 1 (13) PFMS/FCD/2020 दिनांक 23.03.2021 एवं दिनांक 02.07.2021 के द्वारा राज्य में Detailed Demand for Grants (DDG) के तहत केन्द्रीयांश व राज्यांश के लिए अलग से बजट शीर्ष खोलने के लिए 30 सितम्बर, 2021 तक (तीन माह की छूट) का समय प्रदान किया गया है।

अतः केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में 30 सितम्बर, 2021 के बाद कोष कार्यालयों द्वारा कोई बिल पारित नहीं किये जायेंगे। समस्त योजना प्रभारी 30 सितम्बर, 2021 को आहरण वितरण अधिकारियों के पास आई.एफ.एम.एस. पर अवशेष राशि आहरित करवाने के प्रस्ताव दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को योजना शाखा, कृषि आयुक्तालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।



(डॉ. ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक:- एफ.7(495) सी.एस.एस./प्लान/2021-22/ 12256-430

दिनांक : 17/09/2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. वित्त सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/अनुसंधान/आदान), मुख्यालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन), मुख्यालय, जयपुर।
4. योजना प्रभारी समस्त, मुख्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड समस्त।
6. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, समस्त।
7. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), समस्त।
8. प्रभारी प्रयोगशाला समस्त।
9. प्रभारी एटीसी समस्त।
10. प्रभारी, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर एवं कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, टोंक।
11. कृषि अधिकारी, योजना (बजट) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
12. आरक्षी पत्रावली।


आयुक्त, कृषि